



प्रेस नोट

दिनांक 26.03.2025

ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों-स्वामियों का जागरूकता एवं सत्यापन अभियान।

आज दिनांक 26 मार्च 2025 जनपद हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से पुलिस परेड ग्राउंड में ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों-स्वामियों के लिए जागरूकता व सत्यापन अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देना, दस्तावेजों का सत्यापन करना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना था।

इस अभियान में ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), बीमा दस्तावेज, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और अन्य आवश्यक कागजातों की जांच की गई। इस दौरान जिन चालकों के दस्तावेज अपूर्ण पाए गए, उन्हें शीघ्रता से उन्हें पूरा करने की अपील की गई।

अधिकारियों द्वारा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि नशे की हालत में वाहन चलाना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह स्वयं चालक, सवारियों और अन्य राहगीरों के जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। चालकों से अपील की गई कि वे नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।

अभियान के दौरान ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों से अवगत कराया गया, जिसमें निम्नलिखित बिंदु प्रमुख रूप से शामिल थे:-

- 1. नशे में वाहन न चलाना** – शराब या नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनता है। पुलिस द्वारा विशेष रूप से चालकों को इस संबंध में सचेत किया गया।
- 2. ओवरलोडिंग से बचाव** – ई-रिक्शा व ऑटो में निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां बैठाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है।
- 3. वाहन के दस्तावेजों की पूर्णता** – सभी चालकों को अपने वाहन के आवश्यक दस्तावेज जैसे लाइसेंस, परमिट, बीमा आदि हमेशा अपने साथ रखने की हिदायत दी गई।
- 4. सड़क पर यातायात संकेतों का पालन** – चालकों को यातायात सिग्नलों, जेब्रा क्रॉसिंग, लेन ड्राइविंग और गति सीमा का पालन करने की सलाह दी गई।
- 5. रात्रिकालीन सुरक्षा उपाय** – रात के समय वाहन चलाने वाले चालकों को हेडलाइट और इंडिकेटर का सही उपयोग करने की जानकारी दी गई।

इस अभियान में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों ने भाग लिया और सभी ने यह शपथ ली कि वे यातायात नियमों का पालन करेंगे, नशे में वाहन नहीं चलाएंगे और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे। चालकों ने यह भी संकल्प लिया कि वे पुलिस एवं यातायात पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करेंगे। यह अभियान न केवल दस्तावेजों के सत्यापन तक सीमित रहा, बल्कि यह यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी कारगर साबित हुआ। आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा इस तरह के और अभियानों को चलाने की योजना बनाई गई है ताकि सभी वाहन चालक सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहें। हमीरपुर पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस अभियान ने ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। चालकों की सक्रिय भागीदारी और संकल्प ने इसे सफल बनाया। इस तरह के अभियानों से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि यातायात व्यवस्था भी अधिक सुचारू और सुरक्षित बनेगी।